भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/एचएलटी/सीआईआर/विविध/58/2/2023
Ref No: IRDAI/HLT/CIR/MISC/58/2/2023 **दिनांक / Dated: 27/02/2023**

प्रति / To,
सभी साधारण बीमाकर्ता (ईसीजीसी, एआईसी को छोड़कर) और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता
All General Insurers (except ECGC, AIC) and Stand-alone Health Insurers

विषयः निर्योग्यताओं से युक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी), एचआईवी/एड्स से पीड़ित व्यक्तियों, तथा मानसिक बीमारी से युक्त व्यक्तियों के लिए उत्पाद
Re: Product for Persons with Disabilities (PWD), Persons afflicted with HIV/AIDS, and those with Mental Illness

1. नीचे उल्लिखित संविधियों की निम्नलिखित धाराओं की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता हैः
   Reference is drawn to the following sections of the Statutes mentioned below:

   क. मानसिक स्वास्थ्य रक्षा अधिनियम (एमएचसीए), 2017 की धारा 21(4);
   a. Section 21(4) of the Mental Health Care Act(MHCA),2017;

   ख. निर्योग्यताओं से युक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 3;
   b. Section 3 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016;

   ग. एचआईवी और एड्स (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम,2017 की धारा 3(ञ);
   c. Section 3(j) of the HIV AND AIDS (prevention and Control) ACT, 2017;

उक्त संबंधित अधिनियमों में समाविष्ट उपर्युक्त उपबंधों के आलोक में तथा समाज के कुछ असुरक्षित वर्गों को अर्थात् निर्योग्यताओं से युक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी), एचआईवी/एड्स से पीड़ित व्यक्तियों और मानसिक बीमारी से युक्त व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य बीमा रक्षा प्रदान करनेवाले उपयुक्त उत्पाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, सभी साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता निर्योग्यताओं से युक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी), एचआईवी/एड्स से पीड़ित व्यक्तियों, और मानसिक बीमारी से युक्त व्यक्तियों के लिए एक विशिष्ट कवर प्रस्तुत करेंगे। उत्पाद के अभिकल्प के लिए न्यूनतम विस्तार और मानदंड निर्धारित करते हुए एक नमूना (माडल) संलग्न है। दूसरे शब्दों में, बीमाकर्ता इस उत्पाद के विस्तार को बढ़ा सकते है, परन्तु किसी भी स्थिति में उत्पाद के विस्तार को कम नहीं किया जा सकता।

In the light of the above provisions incorporated in the respective Acts and with the objective of making available an appropriate product offering health insurance cover for certain vulnerable sections of society viz. Persons with Disabilities (PWD), Persons afflicted with HIV/AIDS, and those with Mental Illness, all general and health insurers shall offer a specific cover for Persons with Disabilities (PWD), persons afflicted with HIV/AIDS, and those with mental illness. Enclosed is a model setting out the minimum scope and parameters for design of the product. In other words, insurers may widen the scope of this product but in no case can the scope of product be narrowed down.

2. बीमाकर्ताओं को निदेश दिया जाता है कि वे बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक जोखिम-अंकन नीति लागू करें जो यह सुनिश्चित करे कि आबादी की उपर्युक्त श्रेणियों से प्राप्त किसी प्रस्ताव को ऊपर उल्लिखित निर्योग्यताओं और/या बीमारी/बीमारियों के कारण अस्वीकार न किया जाए।
The insurers are directed to put in place a Board approved underwriting policy that ensures that no proposal from the above-mentioned categories of population is denied for reason of the above stated disabilities and/or illness/es.

3. बीमाकर्ता आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016 (एचआईआर, 2016) और उनके अधीन अधिसूचित दिशानिर्देशों / परिपत्रों में विनिर्दिष्ट मानदंडों का अनुपालन करने के अधीन उत्पाद की कीमत निर्धारित कर सकते हैं।
The insurers may determine the price of the product subject to complying with the norms specified in the IRDAI (Health Insurance) Regulations, 2016 (HIR, 2016) and Guidelines/Circulars notified there under.

4. उत्पाद की पालिसी अवधि एक वर्ष के लिए होगी तथा वह पहले से ही निर्धारित विनियमाक ढाँचे के अनुसार नवीकरण-योग्य होगी।
The policy tenure of the product shall be for a period of one year and renewable as per regulatory framework already laid down.

5. उक्त मानक उत्पाद आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016, सभी अन्य लागू विनियमों तथा समय-समय पर यथासंशोधित अन्य प्रयोज्य दिशानिर्देशों/परिपत्रों के सभी उपबंधों का अनुपालन करेगा।
The Standard Product shall comply with all the provisions of IRDAI (Health Insurance) Regulations, 2016, all other applicable Regulations and other applicable Guidelines/Circulars as amended from time to time.

6. प्रत्येक साधारण और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता, जिसे साधारण और/या स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है, अपना संबंधित उत्पाद अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) तौर पर तत्काल प्रारंभ करेगा।
Every General and Stand-alone Health Insurer, who has been issued a Certificate of Registration to transact General and/or Health Insurance Business, shall mandatorily launch and offer their respective product immediately.

7. यह दोहराया जाता है कि यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
It is reiterated that this circular shall come into force with immediate effect.

यज्ञप्रिया भरत

(यज्ञप्रिया भरत / YEGNAPRIYA BHARATH)
मुख्य महाप्रबंधक (स्वास्थ्य) / CHIEF GENERAL MANAGER (HEALTH)

संलग्न / Encl : नमूने का विवरण संलग्न / Details of Model attached.